

बड़ी मात्रा में मिली नकली खाद, तीन लाइसेंस किए गए निरस्त

Sudhakar Singh | LipiUpdated: 26 Aug 2020, 09:16:00 PM

बागपत जिले में नकली खाद के व्यापार की शिकायतों के बाद छापेमारी की जा रही है। इस दौरान तीन दुकानों में नमूने मानक के अनुरूप नहीं मिले हैं, जिसके बाद लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।



दुकानों पर चल रही छापेमारी

बागपत

उत्तर प्रदेश में [नकली खाद](#) को लेकर मचे कोहराम के बीच बागपत में तीन दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। नमूने फेल होने के बाद कृषि विभाग की ओर से यह कारवाई की गई है। जनपद में 347 पीओएस मशीन कार्य कर रही हैं, जिसमें से तीन खाद दुकानों की पीओएस मशीन इफको कार्यालय में जमा कराई गई है। जिला कृषि अधिकारी ने टीम के साथ अमीनगर सराय में भी छापेमारी कर नमूने लिए हैं।

बागपत जनपद में बेची जा रही खाद, उर्वरक और बीज मानक पूरे नहीं कर पा रहे हैं। जांच के लिए भेजे गए तीन दुकानों के नमूने मानक पर खरे नहीं उतरे हैं। इसको लेकर जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप शाही ने तीनों दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। सूर्य प्रताप शाही का कहना है जनपद में नकली खाद की शिकायत पर छापेमारी की जा रही है। अक्टूबर माह से दुकानों पर खाद, बीज की जांच की जा रही है। शिकायत पर पूरे जनपद में खाद और बीज की दुकानों में छापा मारकर नमूने लिए गए थे।

'नमूना मानक के अनुरूप नहीं मिला'

अधिकारी ने कहा कि इस अभियान के तहत 14 अक्टूबर 2019 को चौधरी खाद भंडार रटौल का डीएवी 18.46 प्रतिशत उर्वरक का नमूना, उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला लखनऊ में जांच के लिए भेजा था। प्रयोगशाला में नमूना मानक के अनुरूप नहीं मिला। इसके बाद चौधरी खाद भंडार का पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। साथ ही दो लाइसेंस मेसर्स सिंघल फर्टिकैम प्राइवेट लिमिटेड बड़ौत के प्रमाणपत्र और चौधरी ऐंड कंपनी खेकड़ा का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। वहीं पीओएस मशीन इफको कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

'पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है खाद'

जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप शाही ने बताया है कि जनपद में 250 दुकानें यूरिया और डीएपी का वितरण कर रही हैं। 97 सहकारी समिति पर खाद का वितरण किया जा रहा है। अमानक मिलने के बाद तीन दुकानों पर कारवाई करते हुए उनकी पीओएस मशीन जमा कर दी गई है। वहीं, एआर बागपत देवेन्द्र कुमार ने कहा कि जनपद में यूरिया और डीएपी की कोई कमी नहीं है। सभी सहकारी समितियों पर खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/bagpat/three-licenses-canceled-after-getting-fake-manure-in-bagpat/articleshow/77762121.cms>